

आज दिनांक 18.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

### नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 362/2022 धारा 363 / 366 / 376 / 120 (बी) भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वाँछित अभियुक्त नाम पता रिजवान अहमद पुत्र जलीस निवासी बेला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को दिनांक 11.09.2022 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 16.09.2022 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 18.03.2023 को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।  
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी बाघनगर उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, कां0 भानू प्रताप यादव, कां0 रवीकान्त, म0कां0 शम्शा परवीन ।

### थाना दुधारा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वाँछित / गैंगेस्टर एक्ट में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 18.03.2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अनिल कुमार दूबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 681 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मुर्तजा निवासी कौलपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अब्दुल्ला पुत्र मुर्तजा निवासी कौलपुर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री वशिष्ठनारायण श्रीवास्तव, कां0 वीरेन्द्र रावत, कां0 सुजीत यादव ।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 02 महिलाओं को पहुँचाया गया अस्पताल— पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बालमपुर से इवेन्ट संख्या 10744 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 02 महिलाओं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल हुए लोगों को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर व विवाद में घायलों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 संजय पाल, म0आ0 प्रेमा बिन्द, आ0चा0 राजीव सोनकर ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 18.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 68,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।